

अधिसूचना सं.43/2015 [फा.सं.वी.27015/3/2014-एसओ (NAT.COM)]/एसओ 94 (ई), दिनांक 6-1-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2835(इ), दिनांक 19.12.2011 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की व्याख्या के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई थी, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या '1' पर 'डिग्रीटी डिमेंशिया डे केयर सेंटर' को "डिग्रीटी फाउंडेशन (पंजी.), बीएमसी स्कूल बिल्डिंग, टोपीवाला लेन, लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के सामने, ग्रांट रोड (पूर्व), मुंबई 400007, महाराष्ट्र" द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के साथ समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए रु.1.80 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11इ के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की उपधारा (1) के साथ पठित व्याख्या के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 'डिग्रीटी डिमेंशिया डे केयर सेंटर' योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है जो "डिग्रीटी फाउंडेशन (पंजी.), पीएमसी स्कूल बिल्डिंग, टोपीवाला लेन, लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के सामने, ग्रांट रोड (पूर्व), मुंबई 400007, महाराष्ट्र" द्वारा रु.1.80 करोड़ की स्वीकृत लागत में बिना किसी परिवर्तन के वित्तीय वर्षों 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए संचालित की जा रही है।